26/2/19

पत्रावली पेश हुई। इस पत्र के अधिशाषी अभियन्ता के समक्ष उपस्थित। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी। जिसमें कुछ निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा नोटिस तामील के शेष शुल्क की पालना हेतु नोटिस जारी करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये, जिसकी पालना प्रार्थी द्वारा नियम के अनुसार की गयी है। अतः कृपया पत्रावली निस्तारण हेतु प्रस्तुत है। अतः कृपया प्रार्थना पत्र 212 BNS अन्तर्गत फरमाया जावे।

अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.16 को शेष शुल्क की पालना हेतु नोटिस तामील किये जाने के आदेश दिये गये हैं, जिसकी पालना प्रार्थी/कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अन्तिम तक नहीं की गई। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है। अतः अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 के आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किये जाने आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से बस्ते हो।

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.),
अजमेर

Scanned by CamScanner